से एक गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार वहां के प्रशासन की ओर से, वहां की सरकार की ओर से हुआ है। इस नौजवान ने दिन में सभी लोगों की उपस्थिति में आत्मदाह कर लिया । प्रशासन की ओर से पुलिस दस्ते नियुक्त किए गए थे । लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वे उस नौजवान को गिरफ्तार करके अलग रख सकते थे। या तो जिला प्रशासन के पास उसको उपस्थित कर सकते या विश्वविद्यालय के समक्ष ले जा सकते थे। किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। कहा यह जाता है कि विद्यार्थी पेट्रोल लगा कर ही कॉलेज परिसर में गया था और वहां उपस्थित जो एस० डी०ओ० था, उसने कहा कि तुम नेता बनना चाहते हो तो आग लगा कर दिखाओ। हो सकता है उस एस०डी० ओ० को यह मालूम न रहा हो लेकिन उसने उसे प्रोवोक किया और उस नौजवान को कहा कि तुम में हिम्मत है नेता बनने की तो आग लगाओ और उस विद्यार्थी ने दियासलाई ले कर आग लगा ली। क्योंकि वह पेट्रोल में डूबा हुआ था, तत्क्षण उसके शरीर में आग लग गई और अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कार्य-वाही नहीं हुई है। वह प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी, वह एस०डी०ओ० जिसकी जिम्मेदारी थी या विश्वविद्यालय का प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है महा-विद्यालयों को चलाने की, विश्वविद्यालयों को देखने की, किसी ने नहीं देखा। महोदया, यह याद करने की बात है कि पिछली 30 मई को समस्तीपुर में परीक्षा के समय विद्यार्थियों पर गोली चलाई गई थी जिसमें तीन विद्यार्थी मारे गए थे। उस आंदोलन में नवीन कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से नेतृत्व किया था। संभवतः इस नौजवान से नाराजगी रही हो जिला प्रशासन की, इसलिए उसके नोटिस पर, सूचना पर किसी ने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया और उस विद्यार्थी को मरने दिया गया। वह परिवार बर-बाद हो गया और वहां के लोगों में बड़ा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। इसलिए आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कल हमने वहां की महिलाओं पर जो ज्यादतियां हो रही हैं, उस घटना की जानकारी दी थी। व्यवस्था में जो निरंतर क्षय हो रहा है, उसकी जानकारी दी है। पिछले दिनों खगड़िया में जो जनसंहार हुआ है, उसकी चर्चा यहां हुई है और बाद में मोतिहारी में, भोजपुर में, रोहतास में इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं। क्या बिहार सरकार को पूरी छूट है कि वहां के गरीब लोगों, नौजवानों की जानों के साथ खिलवाड़ करती रहे? क्या केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार की गिरती हुई व्यवस्था पर वह ध्यान दे या विशेष दल भेजे पूरी बातों का जायजा लेने के लिए ? और किन परिस्थितियों में इस तरह के ऐक्स्ट्रीम स्टेप उठाए जा रहे हैं? इस को रोकने के लिए क्या कार्यवाही हो सकती है, इस पर गृह मंत्री जी गंभीरता से विचार करें, आपके माध्यम से यही मेरी मांग है।

---

## SPECIAL MENTIONS

### Advertisement of prestige glass in The Times of India

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Madam, I would like to draw your attention and through you the attention of the House to an advertisement of Prestige Glasses in *the Sunday Times*. I would like to show the advertisement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot show it in the House.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Madam, I would lay it on the Table of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot lay it on the Table of the House. You can show it to me in my Chamber. What is the advertisement? You cannot lay it on the Table of the House.

SHRIMATI URMILABEN CHIMAN BHAI PATEL: These advertisements are on false names. Madam, it is not a simple advertisement of glasses, but its an advertisement of glasses, (whisky). The indicated words are: "Cheers", "Shaw Wallace", "Gold Swinger", "the explosive new thriller", "smooth and exciting", "High Command", etc. We all know that the Government has put a check on such advertisements and banned them by law. But, still such illegal advertisements do appear in the newpapers, not only in this newspaper but in the other newspapers also. Secondly, the picture demonstrated in the advertisement is in very bad taste. Such pictures displaying the legs of a female or things like that arouse sensation and it affects the morale of youngesters. Nowadays, it has become embarrassing to glance through even newspapers and magazines in the presence of children. Earlier, it used to be the case with T.V. and screen. But now, it has reached newspapers as well. I would like to suggest that the Government, should have a check on such newspapers and it should put a ban on such advertisements in neswpapers. I propose that there should be a newspaper and magazine censor board to look into such cases. Madam, I strongly oppose such advertisements and I hope that the whole House will support me.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, all of us support her.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, while associating myself with the hon. Member, I would like to bring to the notice of the Government, especially, the Minister for Communications, the hotline system that is there connecting with foreign countries, especially, Hong Kong and Australia, by which one can have acess to pronographic features over the telephone. I want the Government to put a ban on this because this gives access to youngsters also... (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The hon. Minister is here. She can come to the rescue of women.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, there is no code and even minor persons can have access to such calls.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the thing is, though we have passed a law, the Prohibition of Obscene Publications Bill.. (*Interruptions*) Smt. Margaret Alva piloted the Bill — I do not know how many have been prosecuted under this Act... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Not a single magazine or a single person has been prosecuted under this Act.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, I will explain. The Bill was passed in Parliament But the implementing agencies are the State Governments. The Central Government has no powers to implement it. The Home Minister is here. I feel that some measures should be taken to implement the legislation which was passed to avoid this kind of absenity in newspapers, magazines and on screen.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But the newspapers come under the Central Government.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The agency is a nodal one.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Through any official in the telephone

department, you can make a call for Rs. 5 and speak overseas for hours together. This should be banned by the Communication Ministry ...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: There are men and women who man a particular number. And by calling that number in Hong Kong or some other country, you can continuously hear all kinds of pornographic details ...(*Interruptions*)

SHRI JOHN F. FERNANDES: My submission is that this system has been misused by the telecom people. Therefore, there should be a ban on it.

**प्रो. आई. जी. सनदी (कर्नाटक) :** यत्र नार्यस्ते पूज्यंति, तत्र रमन्ते देवता:। इस देश में नारियों का इस तरह का नग्नता का प्रदर्शन करना यकीनन शर्मनाक बात है।

**उपसभापति :** जरा दुबारा से पढ़िए, आपने क्या पढ़ा था ?

**प्रो. आई. जी. सनदी :** यत्र नार्यस्ते पूज्यंति, जहां नारी की इज्जत होती है। रमन्ते तत्र देवता:। वहां पर देवता का निवास होता है।

इस तरह का देश है हमारा, इतनी इज्जत के साथ हम नारियों का सम्मान करते हैं। कुरान में भी कहा गया है कि Heaven lives under the feet of mother.

"मां के चरणों में मैंने स्वर्ग को छुपा रखा है।" इतनी इज्जत के साथ नारियों का सम्मान होता है। इस तरह स्त्रियों के नग्नता और अश्लीलता को दर्शाने वाले चित्र चाहे फिल्मों में कहिए या अखबारों में कहिए, छपना इस देश के लिए शर्मनाक बात है। मैं उर्मिला चिमनभाई पटेल जी के विचारों से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

**उपसभापति :** वीणा वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी ?

**श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) :** उप सभाध्यक्ष महोदया, मैं, उर्मिला चिमनभाई पटेल जी के विचारों से स्वयं को संबद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगी, और अभी मारग्रेट आल्वा जी ने भी कहा कि यह नियम, या एक्ट स्टेट को लागू करना है और केन्द्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं यह चाहूंगी होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और, सदन के द्वारा आपसे भी अपील करना चाहूंगी कि ऐसा आदेश जाना चाहिए कि कम से कम महिलाओं के विषय में जो इस तरह के अत्याचार, उत्पीड़न व एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, जहां उसको कमोडिटी की वस्तु बनाया जा रहा है। उनसे संबंधी एक्ट को लागू करे। उस पर यहां से आदेश जाना चाहिए, कि ऐक्ट फौरन लागू हो, राज्य सरकारों को।

**उपसभापति :** इस से पहले भी यह मसला जयन्ती नटराजन जी ने उठाया था महिलाओं पर अत्याचारों और उन पर जो ऐट्रोसिटीज हो रही हैं, उन के बारे में। मैं समझती हूं कि इस तरह के अखबारों में लंबे ऐडवर्टिजमेंट्स छापना भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, बहुत खराब है। इस हाउस में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मारग्रेट आल्वा जी ने कहा कि हम ने यहां से कानून पास करा लेकिन उस को लागू करना पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। जब सरकार का ऐसा कहना है, होम मिनिस्टर साहब ने हाउस में यह बात कही थी कि कानून आप जो भी मजबूत बनाना चाहें, इस सिलसिले में हाउस मदद करेगा तो हम जरूर कानून बनाएंगे ताकि इस चीज के ऊपर गौर कर सकें, उन के हाथ मजबूत करें ताकि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस मामले में कह सकें। मैं समझती हूं कि–इस बारे में चर्चा भी हुई थी चेयरमेन साहब के पास–इसी सेशन में इस के ऊपर चर्चा करेंगे महिलाओं के विषय में और होम मिनिस्टर साहब से मैं उम्मीद करूंगी कि जैसे मारग्रेट जी ने कहा, आप ने भी

ने भी कहा था, कुछ कानून में मजबूती लानी चाहिए।

Whatever legislation the Council of States or the Lok Sabha passes in relation to women and weaker sections, it has to be implemented. It should not be left to the people in the States to implement it the way they like, thus, making a mockery of the law passed by the august Houses of Parliament.

**Demand of women's organisations for Constitution of Family Courts**

**श्रीमती वीणा वर्मा** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, आज मैं अपने इस विशेष उल्लेख के द्वारा सदन के माध्यम से सरकार एवं माननीय सदस्यों का ध्यान एक अत्यंत मानवीय मुद्दे और आधी दुनिया की अंधेरी जिंदगी में उजाला फैलने की सुगबुगाहट की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं जिसका इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में खुलकर विरोध किया जा रहा है। और दुख यह है कि इस विरोध के विरुद्ध किसी की आवाज नहीं उठ रही है। वह है– राजधानी में पारिवारिक अदालत कायम करने की महिलाओं व महिला संगठनों की मांग के संदर्भ में पुरुष सत्तात्मक समाज की खामोशी या विरोध में गूंजता स्वर। इस स्वर में सबसे ऊंची आवाज उस वर्ग की है जो अपने को बुद्धिजीवी और कानून का विशेषज्ञ मानता है। हालात यहां इस मोड़ तक आ पहुंचे हैं कि इन पारिवारिक अदालतों के गठन के समर्थन में उठे स्वर को खामोश करने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक महिला वकील की वकीलों द्वारा पिटाई की गई। उस पर अत्याचार किए गए, उसे मैन-हैंडल किया गया। उस को बार काउंसिल से डिबार कर दिया गया। उसकी मैंबरशिप खत्म कर दी गई। इस तरह के दो तीन केसेज रोज अखबारों में आ रहे हैं। अपने निजी हित के लिए पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा एक मानवीय मुद्दे का इस तरह विरोध महिलाओं के प्रति उन की तंग सोच का सबूत है।

महोदया, देश भर में इन पारिवारिक अदालतों के गठन के पीछे मंतव्य सदियों से शोषित, प्रताड़ित और घर की चहारदीवारी के भीतर अपने सपनों के क्षितिज को दम तोड़ने के लिए मजबूर करके जीने वाली औरत की जिंदगी में उजाले की किरण बिखेरने का था। उन के बिखराव की जिंदगी को पारिवारिक अदालतों द्वारा सहेजना था। उसे त्वरित न्याय दिलाना था क्योंकि अक्सर वर्तमान न्यायिक ढांचे में उसे न्याय नहीं मिलता और इसकी उम्मीद में उस पर अत्याचारों का सिलसिला जारी रहता है। 1968 से इस तरह के मुद्दों पर विचार आरंभ हुआ जिसे 1984 में कानूनी रूप दिया गया और महिलाओं के मुद्दों को इन पारिवारिक अदालतों में निपटाने का सुझाव दिया गया ताकि उन्हें पारिवारिक वातावरण में त्वरित ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। पर यह दुर्भाग्य ही रहा कि अभी तक देश में इसे सभी राज्यों में लागू नहीं कराया जा सका। सिर्फ महाराष्ट्र में ही यह अदालतें पूरी तरह गठित हो सकी हैं और उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों की गाइड लाइन मिली है। शेष राज्यों में अभी ऐसी अदालतें गठित नहीं हो सकी हैं जब कि भारत जैसे देश के लिए ऐसी अदालतों की नितान्त जरूरत है। लॉ कमीशन ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में ऐसी अदालतों के गठन पर जोर दिया था। उस ने यह भी कहा था कि ऐसी अदालतों से जहां महिलाओं को पारिवारिक वातावरण में अपनी समस्या त्वरित ढंग से सुलझाने का अवसर मिलेगा, वहीं कोर्ट में जाने से पहले की पृष्ठभूमि निर्मित होगी तथा कोर्ट पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाला दबाव कम होगा और ऐसे मामलों को सौहार्द, आत्मीय वातावरण में निपटाया जा सकेगा। 11वें लॉ कमीशन में अपनी 131वीं रिपोर्ट में लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ऐसे स्ट्राइक से बचने का सुझाव दिया था। पर हमारे यहां तो विरोध का सबसे अचूक हथियार हड़ताल है। बिना इस पर विचार किए कि इसका जनता और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा और देश का